कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : एफ. 15(23)2023 / गो.प्र. / प्रमुवसं / दिनांक :

–:: कार्यालय–आदेश ::–

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (defer) की बैठक दिनांक 06.10.2023 की अनुशंषा के आधार पर निम्न लोकसेवक को वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे–मैट्रिक्स के पे–लेवल एल–8 (ग्रेड पे–2800) में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:–

क्र.स.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	रिक्ति तिथि
1.	गिरिराज बडेतिया	रामकिशोर	एस.सी.	01.04.2023
2.	प्रवीण कुमार	जीत सिह	–	01.04.2023

उपरोक्त कार्यरत लोकसेवक को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दिनांक से वेतन का काल्पनिक लाभ तथा नवीन पद पर कार्यग्रहण संभालने की दिनांक से वेतन का नगद लाभ देय होगा। पदोन्नत कार्मिक अपनी उपस्थिति वर्तमान पदस्थापन स्थान पर प्रस्तुत कर यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्य–ग्रहण की रिपोर्ट अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय प्रस्तुत करेंगे । इनका पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक / क–2 / 95 / पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020–21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसकी उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा / होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत लोकसेवक का उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ–पत्र प्राप्त कर इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

Sd

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(23)2023 / गो.प्र. / प्रमुवसं / 8583-8587/सी दिनांक : 06.10.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर।
3. उप वन संरक्षक एवं प्रावैद्यिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित किये जाने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (प्रस्था. अराजपत्रित)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर